कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 4018 / मीरजापुर / 15 दिनांक मीरजापुर मई 09 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक 04.11.2022

2– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक–1705 / 81–2–2019–800(64) / 2016 लखनऊ दिनांक 26.08. 2019 ।

2– आपका पत्रांक– 990 / मी0 / 33 / दिनांक 29.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि–वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत आख्या / टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या / टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 924 / मी0 / 15 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 2585 / मी0 / 15 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 1869 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 1916 / जि0भू0व्य0लि0–2023 / थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0 / दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–1)** द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट / विस्तृत आख्या / टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि " **धारा–117 की उपधारा–2 के**

अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम–ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–3005/मी0/15 दिनांक 02.03.2024 द्वारा विस्तृत जॉच आख्या विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ को प्रेषित की गयी, जो अपर मुख्य सचिव, वन उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक–447/81–2–2024–800(64)/2016 द्वारा उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज , लखनऊ को प्रेषित की गयी है। उपलब्ध करायी गयी सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त की प्रति संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक 04.11.2022 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तथा इसी सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहुत बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वांछित बिन्दुओ पर बिन्दुवार उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख इस कार्यालय के पत्रांक–3642/मी0/33 दिनांक 23.04.2024 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया, जो उनके पत्रांक–3276/11–सी, दिनांक 25.04.2024 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर ।
3. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0,मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक-- 3005 /मीरजापुर/15 दिनांक मीरजापुर मार्च 2, 2024

सेवा में,

विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 1705/81–2–2019–800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 924/मी0/15 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 2585/मी0/15 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 1869 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–1)** द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि " **धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में**

ग्राम–ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट मूल में मयसंलग्नक संलग्नकर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3005 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को मय संलग्नक सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वन उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11–सी–FP/UP/Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में।
3. मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को उनके पत्रांक 990/मी0/33/दिनांक 29.08.2019 के क्रम में।
4. जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 एवं पत्रांक 1917/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 के क्रम में।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांकः- 1916 /जि0भू0व्य0लि0-2023/थर्मलए0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांकः 29 .02.2024

विषयः- **वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।**

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वार पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14—2019-190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जॉचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नहीं था एवं वर्तमान में भी संभव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गई भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

जिलाधिकारी महोदया,

शासन के पत्र संख्या–1705/81-2–2019–800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 दिनांक 26 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेच्छा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ मे वन भूमि निहित तो नही है के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्य0 लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर क़े ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है–"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding ....and all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है–

Sehedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs – परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नही है।

Sehedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–1 है।

2. ततपश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक–2 है।

3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के क्रम में विज्ञप्ति 5564/XIV

दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके कम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरव दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा–4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:–

सेड्यूल–2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 विस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 विस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 विस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 विस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	योग	**423 बीघा 12 बिस्वा या 264.88 एकड़**	

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल–2 की परिभाषा एवं 1967 मे धारा–4 मे प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) मे भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे मे पथरैल, नदी, पहाड व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप मे प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय मे वन भूमि के रूप मे थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक–4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों–01मि0, ,24मि0 ,73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 विस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक–5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक–6 है।

जहॉ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग मे उपलब्ध अभिलेखो का परीक्षण किया गया, जिसमे निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :–

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ट संख्या 1225 के कमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे कमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट मे भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

भूमि का प्रकार	कुल रकवा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट मे तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1202.5 एकड़ है, जिसमे 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड़ सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड़ है। जिसमे सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बजंर 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाध 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है। अतः राजस्वं अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन मे उल्लिखित वन भूमि का कुल रकवा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति मे राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण–शीर्ण है। जिसमे कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी मे श्रेणी–02 – जो सीरदारो के अधिकार मे है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार मे थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड़ व पथरैल क़ी भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप मे परिभाषित है जिसका रकबा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा कमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 मे रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

करते हुए कहा गया है कि – Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा मे नही है तथा तत्समय वन के रूप मे है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमीदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा मे 803.718एकड़ बजंर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बजर भूमि रकवा 803.718एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 के अन्तर्गत नही हैं। 1359फ0 खसरा मे 803.718 एकड़ रकवा बजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नही है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नही थी। 1359फ0 खसरा मे पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74.मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264 88 एकड़(423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368फसली खतौनी मे उक्त गाटो का विवरण व नवैयत निम्नवत् है–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151बीघा 1विस्वा	पथरैल
24	131बीघा 10विस्वा	पथरैल
68	3बीघा 2विस्वा	नाला
73/1	14बीघा 15विस्वा	पथरैल
74मि0	9बीघा 14विस्वा	नदी
184	105बीघा 12विस्वा	पहाड
185	13बीघा 12विस्वा	पहाड
योग–	429 बीघा 6विस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटो मे से गाटा संख्या 1,24,73/1, 74,184 व 185 कुल रकवा 423बीघा 12विस्वा अर्थात 264.88 एकड़ की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14–02–20 (41)–77 भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा–20 के प्रकाशन मे केवल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमे पूर्व की किसी भी बजर भूमि या सीरदारो की भूमि का प्रकाशन नही था। वन विभाग की धारा–20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी मे भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	पुराना नम्बर
1	13.800हे0	1मि
2	13.380हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	6.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3विस्वा 3धूर अर्थात 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.88 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन मे प्रकाशित कुल रकवा 1643एकड़ की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा–117– कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओ तथा अन्य स्थानिक अधिकारियो मे निहित होना–धारा–01, धारा–04 मे उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात–

(1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोडकर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नही,
(2) जंगल,
(3) स्रोत मे अथवा जोत की मेड पर या बाग अथवा आबादी मे स्थित पेडो को छोडकर सभी पेड,
(4) मीनाशय
(5) ऐसी भूमि जिनपर धारा–18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्द लागू होते हो अथवा धारा–9 मे उल्लेखित स्थलो तथा क्षेत्रो पर लगने वाले हाटो, बाजारो और मेलो से भिन्न हाट, बाजार और मेले,
(6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालिया, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम मे अधीन राज्य मे निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गाव या उसके भाग के लिए जिसमे उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी मे अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे मे निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके कम मे वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359फसली खसरा मे बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718एकड़ है, उक्त भूमि 1362फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख मे वर्ष 1954 से ही सीरदारो के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नही है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति मे ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 मे निहित/प्रदत्त शावितयो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियो की भूमि मे नही आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।

तहसीलदार सदर,
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी सदर,
मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार, मीरजापुर

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)
मीरजापुर
28/02/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

आदेश

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2023 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तप्पा 84 तहसील सदर जिला मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना करने हेतु ग्राम ददरी खुर्द के काश्तकारों से भूमि कय किया गया है तथा राजस्व अभिलेखों में वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 का नाम दर्ज हो चुका है । निजी भूमि कय के अतिरिक्त परियोजना में जलापूर्ति बावत भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली ग्राम कुशियरा तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर में गैर वन भूमि प्रस्तावित है । तत्कम में परियोजना द्वारा कय की गई ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर की भूमि तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम कुशियरा तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर की भूमि के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 तथा संलग्न शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी /2018 दिनांक 28.06.2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "गैर वन भूमि" का प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 तथा संलग्न शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी /2018 दिनांक 28.06.2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "गैर वन भूमि" का प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु निम्नवत संयुक्त टीम गठित की जाती है:-

1.	प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर	अध्यक्ष
2.	अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), मीरजापुर	सदस्य
3.	उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद मीरजपुर	सदस्य
4.	उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार	सदस्य
5.	तहसीलदार सदर, जनपद मीरजापुर	सदस्य

अतः गठित संयुक्त टीम से अपेक्षा की जाती है कि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 10 फरवरी 2020 व शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी /2018 दिनांक 28.06.2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार "गैर वन भूमि" का प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में जॉचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख व प्रमाण-पत्र 03 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर ।

संख्या- 1869 /जि0भू0व्य0लि0/गैर वन भूमि-टीम गठन/2024 दिनांकः 12 फरवरी 2024

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
2. अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), मीरजापुर
3. उप जिलाधिकारी, सदर, जनपद मीरजपुर
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार
5. तहसीलदार सदर, जनपद मीरजापुर

जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3642 /मीरजापुर/ 33 दिनांक मीरजापुर अप्रैल 23 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*226) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ–1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–3122/11–सी–FP/UP/THERMAL/14236/2015, लखनऊ दिनांक 28.03.2024 ।

2– आपका पृष्ठांकन पत्रांक–3844/मीरजापुर/33 दिनांक 29.03.2024 ।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*226) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रो के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक 04.11.2022 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तथा इसी सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहुत बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वांछित बिन्दुओ पर बिन्दुवार उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियो में।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

D/current file /Setelment letter1499

संयुक्त निरीक्षण आख्या

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 08 / 38 / 2016 / एफ0सी0 / 329 दिनांक 04.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग बैठक दिनांक 28.03.2024 द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के कम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये वांछित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–3122 / 11–सी–(FP/UP/THARMAL/14236/2015) दिनांक 28.03.2024 द्वारा भी उपरोक्तानुसार निर्देश प्राप्त हुये जिसके कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक–3367 / मी0 / 15 दिनांक 30.03.2024 द्वारा 1–उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर, 2–उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार एवं 3– अधिकृत प्रतिनिधि–वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0को (उक्त प्रकरण) में भारत सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियो के निवारण हेतु मौके का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर के पत्रांक– 1465 / दिनांक 02.04.2024 द्वारा राजस्व कर्मियो की टीम का गठन कर दिनांक 03.04.2024 को मौके पर आराजी संख्या– 180 व 216ज का चिन्हांकन किया गया। रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

तत्क्रम में दिनांक 03.04.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रस्तावक संस्था द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो बिन्दुवार निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	आपत्ति	आख्या
1-	Whether the two Gata Nos. 180 and 216ja of Dadari khurd village recorded as jhari in revenue record has been included in the list of Deemed forest as Forest like area?	ग्राम–ददरीखुर्द, तहसील–सदर, मीरजापुर का गाटा संख्या–180 एवं 216ज राजस्व अभिलेखो में झाड़ी के नाम से दर्ज है। **(खतौनी की प्रति संलग्नक–2) है**। जनपद–मीरजापुर में वन स्वरूप क्षेत्रो की सूची में ग्राम–ददरी खुर्द तथा उक्त गाटा संख्या–180 एवं 216 ज सम्मिलित नही है। (जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रो की सूची **संलग्नक–3** है)।
2-	What is the criteria adopted by State of UP for declaring any area as Deemed Forest/ Forest like area?	कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–275 / पी0ए0 / आई0ए0(वनस्वरूप) लखनऊ दिनांक 20.12.2007 द्वारा वन स्वरूप क्षेत्रो के चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करते हुये प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, अनुभाग–2, लखनऊ को प्रेषित पत्र में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की आयोजित बैठक दिनांक 19.12.2007 में समिति द्वारा वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करने की संस्तुति की गयी है। **(प्रति संलग्नक–4)**। निर्धारित मानक के अनुसार वन स्वरूप क्षेत्र हेतु विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 हे0, जिसमें प्रति हे0 बहुवर्षीय प्रजाति के 100 पेड़ होना चाहिये। जबकि – 1–ग्राम–ददरी खुर्द, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पड़ता है खसरा न0–180 का क्षेत्रफल मात्र 1.010 हे0 तथा खसरा न0 216ज / 0.490 हे0 है जो वन स्वरूप क्षेत्र के लिये न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल 3 हे0 के सापेक्ष बहुत कम है। 2–खसरा न0–180 तथा खसरा न0–216ज में प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्ष नही है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा न0–180 व 216ज वन स्वरूप क्षेत्र की सूची में नही है तथा वन स्वरूप क्षेत्र के लिये निर्धारित मानक के परिधि के अन्तर्गत भी नही है।
3-	The Geo-referenced map of the said area may be provided for DSS-Analysis of the same.	उक्त क्षेत्र का भू–सन्दर्भित मानचित्र पेन ड्राइव में संलग्नकर प्रेषित है **(संलग्नक–5)**।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

Pramod Pathak

प्रस्तावक संस्था के प्रतिनिधि

उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार

19.04.24

उप जिलाधिकारी,सदर, मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

D/current file /Setelment letter1491

संलग्नक - 1

महोदय,

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्रांक 1465/एस0टी0–उपजिला0 सदर/24 दिनांक 02.04.2024 के आदेश के क्रम में गठित राजस्व टीम एवं वन विभाग तथा प्रस्तावित ताप विधुत गृह के कार्मिकों की उपस्थिति में ग्राम ददरी खुर्द के आराजी नं0 180 रकबा 1.010 हे0 व आराजी नं0 216 ज रकबा 0.490 हे0 का सीमांकन किया गया। ग्राम की चकबन्दी नहीं हुई है। ग्राम का सर्वे (रिकार्ड आपरेशन) हुआ है। उपलब्ध ग्राम के शजरे में प्रश्नगत आराजी नं0 180 व उसके संगत स्थित अन्य गाटो की मेड़े बिन्दु रूप में अंकित किये गये है। अर्थात पक्की मेड़े न होकर काल्पनिक मेंड़े बनायी गयी है। आराजी नं0 180 के सीमांकन हेतु आराजी सं0 162 जिसमें एक पक्का कूप स्थित है जो कि अभिलेखों में भी दर्ज है तथा आ0 सं0 121,120,126 व 127 के कटान बिन्दु चौमेड़ा स्थिर बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्हीं दोनो बिन्दुओं की सहायता से आ0 न0 180 के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकन **व** किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है। आराजी नं0 216 के सीमांकन हेतु आ0 न0 162 स्थित कूप जो अभिलेखों में दर्ज है तथा सत्यापित किये गये आ0 नं0 180 स्थिर बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्हीं दोनो बिन्दुओं की सहायता से आ0न0 216 ज के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित व किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है।

अस्तु आख्या सादर सेंवा में प्रेषित।

Amit ... लेखपाल ... 4-4-2024

रा0नि0 (व) 5/4/24

NT(P) 04/04/24

... 5/4/24

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

महोदय,

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्रांक 1465/एस०टी० - उपजिला० सदर/24 दिनांक 2-4-24 के आदेश के क्रम मे गठित राजस्व टीम एवं वन विभाग तथा प्रस्तावित ताप विद्युत गृह के कार्मिकों की उपस्थिति मे ग्राम-ददरी खुर्द के आराजी नं. 180 रकबा 1.010 हे० व आराजी नं. 216 ज रकबा 0.490 हे० का सीमांकन किया गया। ग्राम की चकबन्दी नही हुई है। ग्राम का सर्वे (रिकार्ड आपरेशन) हुआ है। उपलब्ध ग्राम के शजरे मे प्रश्नगत आराजी नं. 180 व उसके संगत स्थित अन्य गाटे की मेड़े बिन्दु रूप मे अंकित किये गये है। अर्थात पक्की मेड़े न होकर काल्पनिक मेड़े बनायी गयी है। आराजी नं 180 के सीमांकन हेतु आराजी सं. 162 जिसमे एक पक्का कूप स्थित है जो कि अभिलेखों मे भी दर्ज है तथा आ० सं. 121, 120, 126 व 127 के कटान बिन्दु चौमेड़ा स्थिर बिन्दु के रूप मे खोजा गया। इन्ही दोनो बिन्दुओं की सहायता से आ० नं. 180 के शीर्ष बिन्दुओ का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित न किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है। आराजी नं. 216 ज के सीमांकन हेतु आ० नं. 162 स्थित कूप जो अभिलेखो मे दर्ज है तथा सत्यापित किये गये आ० नं. 180 स्थिर बिन्दु के रूप मे खोजा गया। इन्ही दोनो बिन्दुओ की सहायता से आ० नं. 216 ज के शीर्ष बिन्दुओ का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित न किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है।

अस्तु आख्या सादर सेवा मे प्रेषित।

प्रतिहस्ताक्षरित

[illegible]
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

[illegible]
रा.नि.
3/4/24

[illegible]
[illegible]
3-4-2024

नजरी - नक्शा

ग्राम - ददरी खुर्द, तप्पा - 84 परगना - कंतित तह० सदर जिला - मीरजापुर

आराजी नं. 180 व 216 ज

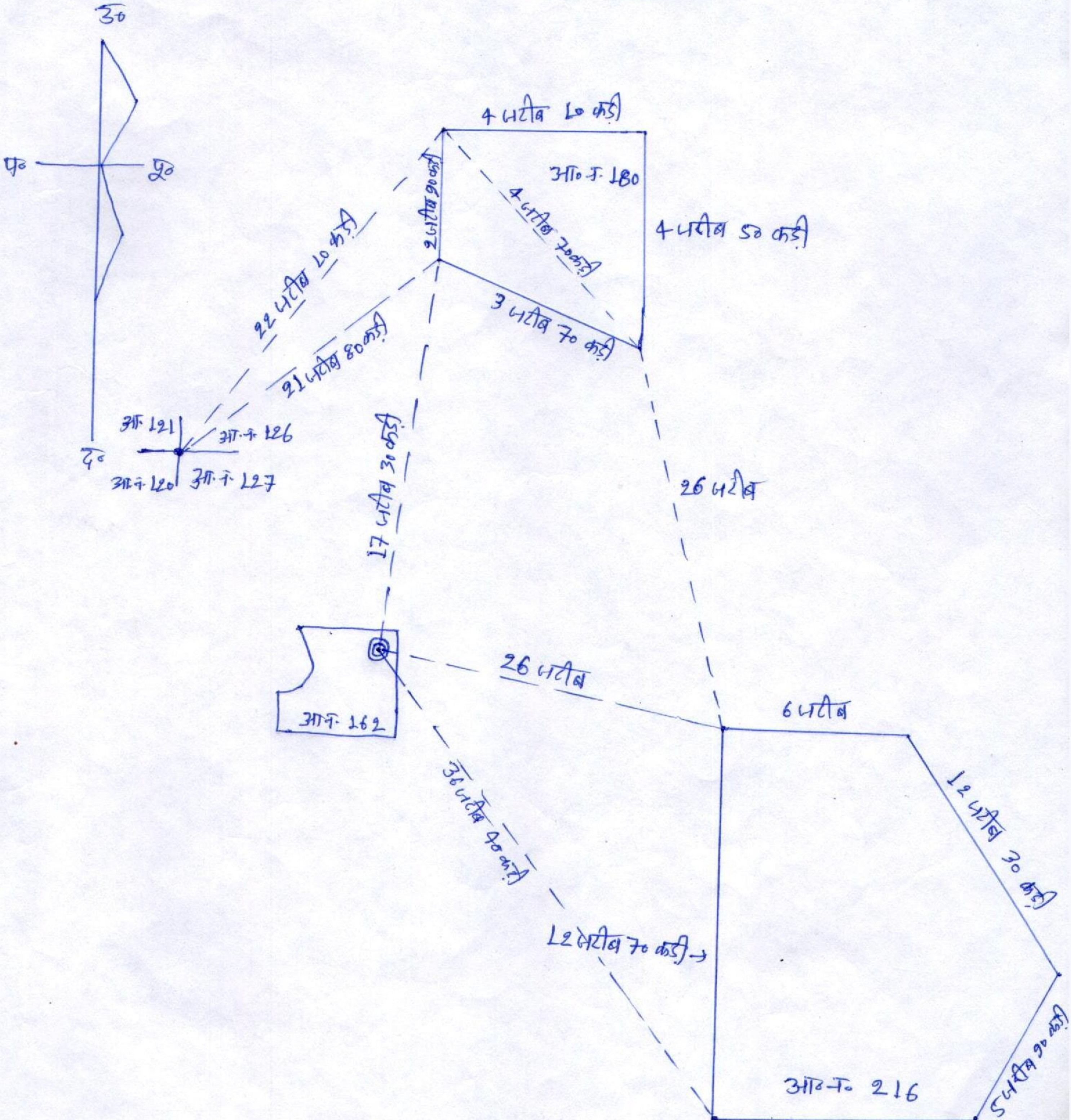

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

3-4-2024

आदेश

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 140/जि0भू0व्य0लि0–2023/ थर्मलए0 यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक 01.04.2024 द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाइन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके का स्थलीय/अभिलेखीय जांच कर भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या मय संगत अभिलेख 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण का स्थलीय/अभिलेखीय जांच हेतु दिनांक 03.04.2024 की तिथि नियत करते हुए श्री राहुल कुमार मिश्रा नायब तहसीलदार पहाड़ी की अध्यक्षता में निम्नवत टीम गठित की जाती है–

1. श्री प्रेमशंकर ओझा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पहाड़ी।
2. श्री श्रीकान्त सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र विन्ध्याचल।
3. श्री अजय कुमार मिश्रा लेखपाल।
4. श्री लालचन्द्र राम लेखपाल।

उपरोक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियत तिथि पर वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय/अभिलेखीय जांच कर आख्या दें।

(आशाराम वर्मा)
उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर।

पत्रांक 1465 /एस0टी0–उपजिला0सदर/24 दिनांक 02.04.2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नियत तिथि पर वन विभाग के सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थलीय/अभिलेखीय जांच हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार सदर।
3. नायब तहसीलदार पहाड़ी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
4. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को अनुपालनार्थ।

2/4/24

उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

संलग्नक - 2

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21166120240358

ग्राम क्रमांक : 211661 ग्राम का नाम / परगना : ददरी खुर्द(कंतित (पहाड़ी)) तहसील : सदर जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	---2---	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-2 / कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम)							
00056	झाड़ी / . / नि. ग्राम	.	180	1.0100		देखे धारा 161ज0वि0अ0 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.15 खाता सं.57 पर अंकित है। ह.र.का.दि.29.09.15	
		.	216ज	0.4900		देखे धारा.143ज0वि0अ0में प्रख्यापित आदेश खातासं. 57पर अंकित है। ह.र.का.दि.05.2.16	
			2	1.5000	₹ 0.00	2	0

कुल गाटे- दो कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव पाँच शून्य शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: Shyama Nand Dwivedi

सक्षम अधिकारी: BRAHMDEV DUBEY
तहसील: सदर जनपद: मिर्जापुर
दिनांक एवं समय: 12-03-2024 08:18:41
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है

उ० प्र० भूमि अभिलेख
कम्प्यूटर कक्ष/रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील सदर, मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

संलग्नक -(3)

ध्यानाकर्षण श्री प्रवन कुमार (आई0एफ0एस0) सचिव वन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
पत्रांक 301 / मीरजापुर / 33वन स्वरूप / मीरजापुर दिनांक अगस्त 1, 2008
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

विषय— माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पीटिशन संख्या 2002 / 95 टी0एन0 गोडा वर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के कम में आई0ए0 संख्या 979 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में वन स्वरूप क्षेत्रो का चिन्हाकन किया जाना ।

सन्दर्भ— आपसे एवं सचिव वन से हुई दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में ।

महोदय,

उक्त विषयक के कम मे उपरोक्त वाच्छित सशोधित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 4460 / 33 / मीरजापुर दिनाक 24 जून द्वारा पूर्व में प्रमुख वन सरक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । जो कि सम्भवत आपको प्राप्त नही हो सकी थी । उक्त सशोधित रिपोर्ट पुन आपको भेजी जा रही है।

सलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय
(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग मीरजापुर

संख्या / अ समदिनाकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— सचिव वन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ ।
2— मुख्य वन सरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
3— जिलाधिकारी ,मीरजापुर ।
4— प्रभागीय वनाधिकारी, कैमुर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

शासनादेश संख्या 120 /14–2–2008/49 (एल) /04 दिनांक 18–1–2008 के अनुपालन में चिन्हित की गयी वन स्वरुप क्षेत्र का विवरण

जनपद–मिर्जापुर

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील /रेंज	गांव का नाम	भू–स्वामी का नाम	गाटा संख्या	भूमि कैटेगरी	क्षेत्रफल	कुल वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	42 घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	8.8020	1200	–
2	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	54ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	6.3240	1887	–
3	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	58ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	55.000	7000	–
4.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	59घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	7.8260	848	खतौनी में क्षेत्रफल12.6460हे0 अंकित है किन्तु 4.82 हे0 वन विभाग के नाम अंकित हो चुका है। इसलिए कालम संख्या 8 में 7.8260 हे0 दर्शाया गया है तथा इसी क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या कालम संख्या 9 में दर्शाया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

(2)

5.	मिर्जापुर	लालगंज /हलिया	सगरा	1–अजित नरायन वगै0	28/6	1–क संकमणीय भूमिधरी	22.1680	20500	–
				2–अशोक कुमार वगै0	30/1	1–क संकमणीय भूमिधरी	33.4060	4500	–
				3–विरेन्द्र सिंह वगै0	28/5	1–क संकमणीय भूमिधरी	22.1680	20000	–
				4– लक्ष्मी देवी पत्नी मथुरा प्रसाद	33/3	1–क संकमणीय भूमिधरी	6.4120	5000	–
				5– सतीश कुमार वगै0	80/1	1–क संकमणीय भूमिधरी	25.7160	18000	–
				6– बैकुन्ठ नाथ वगै0	40/1	1–क संकमणीय भूमिधरी	25.2930	10887	–

जिलाधिकारी
अध्यक्ष/जिला समिति
मिर्जापुर ।

जिला उद्यान अधिकारी
सदस्य
मिर्जापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

उप कृषि निदेशक
सदस्य
मिर्जापुर ।

[illegible]

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

संलग्नक-4

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- 275 /सी०ए०/पी०ए०-लखनऊः दिनांकःदिसम्बर 20 ,2007

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या-979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

सन्दर्भ :- उ0प्र0 शासन का अर्द्ध शा0 पत्रांक-3697/14-2-2007, दिनांक 19.12.07

महोदय,

उपरोक्त संदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.207 को आयोजित किया गया। समिति द्वारा "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारण करने की संस्तुति की गयी है:-

- वृक्षों की प्रति हेक्टर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगी:-

भौगालिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे0)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे0)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रूटस्टाक सम्मिलित नहीं होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहाँ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमूला के रूप में दर्ज है वहाँ प्रत्येक मिंजूमूला प्लाट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार मानां जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हित नहीं किये जायेगें। समिति के संस्तुतियों का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के कम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

संख्या- (1)/14-2-2007-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5- अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वन संरक्षक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

D:\P.A\C\Ambika_3\Letter.doc

/11–सी–FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांकः मार्च 28,2024

...कारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8B/UP/08/38/2016/FC/329, दिनांक 04.11.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–1635/11–सी–FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांक 10.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया है, किन्तु अभी तक उक्त वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। इसी संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहूत बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण करते हुये उक्त वांछित सूचना एवं संबंधित अभिलेख शीघ्र प्रेषित किये जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये उक्त वांछित सूचना एवं संबंधित अभिलेख शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3122/11–सी– FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
2. अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0लि0, मिर्जापुर।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3122/11–सी– FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।